



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
कार्यकारी कुलसचिव
Prof. Krishna Kumar Singh
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602


क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-55 / 2018
दिनांक : 10.12.2018

कार्यालय आदेश

वर्धा नगर सहित विश्वविद्यालय परिसर में भू-जल का स्तर बहुत नीचे चले के कारण एवं वर्धा जिला प्रशासन द्वारा जल आपूर्ति न किये जाने के कारण उत्पन्न जलसंकट के मद्देनजर विश्वविद्यालय के हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग द्वारा (हिंदी शिक्षण अधिगम केंद्र के आर्थिक सहयोग से) 'हिंदी कविता के प्रस्थान : 20वीं सदी' विषय पर दिनांक 13-15 दिसंबर, 2018 को प्रस्तावित राष्ट्रीय संगोष्ठी स्थगित की जाती है।

संगोष्ठी में आमंत्रित विषय विशेषज्ञों का यात्रा निरस्तीकरण व्यय (वायुयान तथा रेलमार्ग) का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(कुलसचिव)

प्रति :
सभी संबंधित (ईमेल द्वारा)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. विभागाध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
4. निदेशक, राष्ट्रीय संगोष्ठी
5. निदेशक, हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र (TLCHS)
6. संयोजक, राष्ट्रीय संगोष्ठी
7. वित्त विभाग
8. संबंधित पत्रावली